उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार, 01 पौष, शक संवत्, 1942

(दिनांक : 22 दिसम्बर, 2020)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)

2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख एवं ग"**)

3. निधन के निदेश।

4. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2020 के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।

5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को सदन के पटल पर रखेंगे।

6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 को सदन के पटल पर रखेंगे।

7. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक) सदन के पटल पर रखेंगे।

8. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2018-19 का वार्षिक लेखा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे।

9. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।)

10. सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (वर्ष 2017-18) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

11. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

    (1) महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का तेइसवाँ अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन), विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का अठ्ठाईसवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का तीसवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड (जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का इक्तीसवां अधिनियम बन गया।

(10) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

(11) उत्तराखण्ड चार धाम देवास्थानम् प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का तैंतीसवां अधिनियम बन गया।

(12) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का चौंतीसवां अधिनियम बन गया।

12. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

13. श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा "विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज पुजारगांव पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जनपद उत्तरकाशी में विज्ञान वर्ग व पद सृजन कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री किशोर भूषण सेमवाल पुत्र श्री सम्पूर्णानन्द सेमवाल, ग्राम व पो0 पुजारागांव धनारी, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा "जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत पुजारगांव तोक पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जनपद उत्तरकाशी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री किशोर भूषण सेमवाल पुत्र श्री सम्पूर्णानन्द सेमवाल, ग्राम पुजारगांव, पो0 पुजारगांव धनारी, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा "जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत पुजारगांव तोक पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जनपद उत्तरकाशी में लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री सम्पूर्णानन्द सेमवाल पुत्र स्व0 श्री भागवत प्रसाद सेमवाल ग्राम पुजारगांव, पो0 पुजारगांव धनारी, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम छांगामाजरी पो0 हल्लूमाजरा में आन्तरिक गलियों में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सुधीर पुत्र श्री रामपाल ग्राम छांगामाजरी पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम रूहाली में अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री फूल सिंह, ग्राम रूहालकी पो0 भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

18. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम हसनपुर मदनपुर पो0 खास में माँ वैष्णो देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में" श्री मनोज पुत्र श्री सत्यपाल, ग्राम हसनपुर मदनपुर, पो0 खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

19. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम शीशमबाड़ा के अन्तर्गत ट्रचिंग ग्राउण्ड के निर्माण से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में" श्री भगत सिंह पुत्र स्व0 श्री नत्थू सिंह, सेलाकुई, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

20. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के के अन्तर्गत श्री देव सुमन विश्वविद्यालय का अतिरिक्त परिसर एवं संघटक महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री विनोद कुमार थापा पुत्र स्व0 श्री तुलाराम थापा, भाववाला, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

21. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के के अन्तर्गत आवारा पशुओं के कारण हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में" श्री सोहन कुमार पुत्र श्री उदय सिंह, कण्डोली, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

22. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

23. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

24. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

25. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

26. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।

27. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

28. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।

29. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

30. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।

31. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेगे।

32. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।

33. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

34. वित्तीय वर्ष 2020-2021 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत रू0 220000 हजार (बाईस करोड़) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) विधि एवं न्याय मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 79288 हजार (सात करोड़ बयानवे लाख अठ्ठासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 6595988 हजार (छः सौ उनसठ करोड़ उनसठ लाख अठ्ठासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) वित्त मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 4708170 हजार (चार सौ सत्तर करोड़ इक्यासी लाख सत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) गृह मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 189118 हजार (अठारह करोड़ इक्यानवे लाख अठ्ठारह हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 3100699 हजार (तीन सौ दस करोड़ छः लाख निन्यानवे हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0 2118269 हजार (दो सौ ग्यारह करोड़ बयासी लाख उनहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 5166588 हजार (पॉच सौ सोलह करोड़ पैंसठ लाख अठ्ठासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत रू0 310000 हजार (इकतीस करोड़) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रू0 1108441 हजार (एक सौ दस करोड़ चौरासी लाख इकतालीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) श्रम मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रू0 1453654 हजार (एक सौ पैंतालीस करोड़ छत्तीस लाख चौवन हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 1393786 हजार (एक सौ उनतालीस करोड़ सैंतीस लाख छियासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत रू0 293601 हजार (उनतीस करोड़ छत्तीस लाख एक हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(14) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 6197872 हजार (छः सौ उन्नीस करोड़ अठहतर लाख बहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(15) सिंचाई मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 04 हजार (चार हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(16) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 112750 हजार (ग्यारह करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(17) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 2200002 हजार (दो सौ बीस करोड़ दो हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(18) उद्योग मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत रू0 366543 हजार (छत्तीस करोड़ पैंसठ लाख तैतालीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(19) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत रू0 905000 हजार (नब्बे करोड़ पचास लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(20) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत रू0 6501 हजार (पैंसठ लाख एक हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(21) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत रू0 01 हजार (एक हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(22) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत रू0 310909 हजार (इकतीस करोड़ नौ लाख नौ हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(23) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रू0 170692 हजार (सत्रह करोड़ छः लाख बानवे हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(24) उद्यान मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रू0 398167 हजार (उनतालीस करोड़ इक्यासी लाख सड़सठ हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(25) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 2690338 हजार (दो सौ उनहत्तर करोड़ तीन लाख अड़तीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

(26) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 516725 हजार (इक्यावन करोड़ सड़सठ लाख पच्चीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकार की जाय।

35. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2020-2021 का अनुपूरक) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

36. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2020-2021 का अनुपूरक) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।

37. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2020-2021 का अनुपूरक) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

38. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2020-2021 का अनुपूरक) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

39. दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-95 के संबंध में कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई पुलिस थानों में दर्ज होने वाले अपराधों पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के उपरान्त मुकदमों की अद्यतन स्थित दर्ज न किये जाने विषयक सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

40. दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-15 के संबंध में श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा उद्योग विभाग के शासनादेशों की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने विषयक सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

41. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक :21 दिसम्बर, 2020

(मुकेश सिंघल)
सचिव (प्रभारी)।

उत्तराखण्ड विधान सभा

तृतीय सत्र, 2020
का प्रथम मंगलवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार,
01 पौष, शक संवत्, 1942
(दिनांक : 22 दिसम्बर, 2020)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 08.12.2020	**1. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान खाद्य वितरण प्रणाली में लगातार आ रही शिकायतों व अनियमितताओं के मद्देनजर इसको और व्यावहारिक, सुदृढ़, जन--उपयोगी एवं जवाबदेह, पारदर्शी बनाने की सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार उपरोक्त अनियमितताओं को दूर करने हेतु भविष्य में योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
श्री मनोज रावत 14.12.2020 श्री प्रीतम सिंह पंवार 14.12.2020	**2. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0 XXX/18/30(13) 2017, दिनांक 14 अप्रैल, 2018 द्वारा पौड़ी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चम्पावत, चमोली, बागेश्वर को दुर्गम क्षेत्र में निर्धारित किया गया है, किन्तु तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इन आदेशों की सर्वथा अनदेखी करते हुए लोहाघाट, पौड़ी, चम्पावत के पॉलीटेक्निक संस्थानों को सुगम तथा कोटाबाग, नैनीताल एवं भलस्वागाज, हरिद्वार को दुर्गम क्षेत्र में रखते हुए पदोन्नत कर प्रधानाचार्यो के स्थानान्तरण किए गये है ? क्या यह भी सत्य है कि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन (एस0/बी0) संख्या 212/2018, उत्तराखण्ड पॉलीटेक्निक टीचर्स एसोशिएसन बनाम उत्तराखण्ड सरकार में निदेशक, तकनीकी शिक्षा को पहाड की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत सुगम/दुर्गम का पुनः निर्धारण किये जाने का निर्देश पारित किये गये थे, जिसका क्रियान्वयन विभाग द्वारा अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?	तकनीकी शिक्षा

नत्थी 'ख'

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 40 (2) के अन्तर्गत तृतीय सत्र 2020 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री हरभजन सिंह चीमा 14.10.2019	*1. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने एन0जी0ओ0 (नॉन गवर्नमेन्ट ऑर्गनाईजेशन) कार्यरत हैं ? प्रत्येक एन0जी0ओ0 के अलग–अलग कौन–कौन से क्रियाकलाप है एवं किस–किस क्षेत्र में कार्यरत है ? क्या मन्त्री जी सम्बन्धित एन0जी0ओ0 के नाम, उनके अलग–अलग आय के साधन क्या है, का विवरण देने का कष्ट करेंगे ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विगत 3 वित्तीय वर्षों मे शासन द्वारा सम्बन्धित प्रत्येक एन0जी0ओ0 को कितनी–कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और क्या सरकार इस बात से पूर्णतः सहमत है कि सम्बन्धित एन0जी0ओ0 अपने मिशन के प्रति सही कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

काजी मौ0 निजामुद्दीन 09.11.2020	*1. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग के अधीन कितनी नहरें है ? इन नहरों में कितनी नहरें सुचारू रूप से चल रही है और कितनी नहरें बंद पड़ी है ? बंद पड़ी नहरें क्रमशः किस–किस दिनांक से बन्द है ? सरकार बंद नहरों को यथाशीघ्र पूर्णतया सूचारू करने हेतु क्या कोई कार्ययोजना बना रही है ? यदि कार्ययोजना बनाई है, तो क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
काजी मौ0 निजामुद्दीन 09.11.2020	*2. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के कुछ भागों में जल स्तर तेजी से गिरने के कारण चेताया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जल स्तर को स्थिर करने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री प्रीतम सिंह पंवार 10.11.2020	*3. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला/पुरूष (बुजुर्गों) को वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार अवगत है कि वृद्धावस्था पेंशन आवेदन या नवीनीकरण हेतु बुजुर्गों को जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ? क्या सरकार एकल खिड़की प्रणाली लागू कर स्वचालित समावेश एवं नवीनीकरण की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 10.11.2020	*4. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई नहरों के अनुरक्षण के लिए जिला योजना में धनावंटन किया जाता रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान कुछ समय/वर्षों से सिंचाई नहरों के आवश्यक अनुरक्षण हेतु जिला/राज्य योजना से धनावंटन न होने से पुरानी सिंचाई नहरें बिना अनुरक्षण के बन्दी की कगार पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी पुरानी सिंचाई नहरों के आवश्यक अनुरक्षण/पुनर्निर्माण हेतु धनावंटन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री मनोज रावत 12.11.2020	*5. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के सुदूर पर्वतीय जिलों में राज्य की उत्तराखण्ड राज्य परिवहन सेवा से कितनी बसें जनपद देहरादून, रूड़की, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल एवं दिल्ली हेतु लगी है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की परिवहन सेवा से राज्य के सुदूर क्षेत्रों के कस्बे जो नगर पंचायत स्तर के हैं, उत्तराखण्ड राज्य परिवहन सेवा से जुड़ गये हैं ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक उपरोक्त क्षेत्रों के सुदूर कस्बों को परिवहन सेवा से जोड़ेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन

श्री प्रीतम सिंह पंवार 17.11.2020	*6. क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लॉकडाउन में उत्तराखण्ड़ के लोक कलाकार भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे है? उत्तराखण्ड़ की लोक संस्कृति को देश–विदेश में पहुंचाने वाले लोक कलाकारों के समक्ष अपना तथा अपने परिवार के पालन–पोषण का भारी संकट उत्पन्न हो रखा है? क्या सरकार उत्तराखण्ड़ के लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता पहुंचायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	संस्कृति
श्रीमती ममता राकेश 19.11.2020	*7. क्या समाज कल्याण मंत्री के संज्ञान में हैं कि प्रदेश में दिव्यांगों हेतु समान राशि की पेंशन योजना लागू है जबकि ऐसे दिव्यांग पूर्ण रूप से माता–पिता पर आश्रित हैं एवं माता–पिता की मृत्यु के पश्चात असहाय हो जाते है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार मानसिक रूप से दिव्यांगों हेतु रूपये 10,000 (दस हजार) की मासिक सहायता राशि देने पर विचार करेगी, जिससे उनके परिवार के लोग उनकी देख–भाल कर सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्रीमती ममता राकेश 19.11.2020	*8. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अंतर्गत भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र को सेंट्रल वाटर कमीशन (सी0डब्लू0सी0) के अंतर्गत क्रिटिकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिस कारण नये नलकूप आदि का निर्माण न होने से किसानों को सिंचाई की समस्या हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में भगवानपुर क्षेत्र को सेन्ट्रल वाटर क्रिटिकल जोन से बाहर निकाल कर सिंचाई समस्या का समाधान करेगी? यदि हां ,तो कब तक? यदि नहीं ,तो क्यों?	सिंचाई
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 20.11.2020	*9. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के गंगनहर से एक रजबहा आसफनगर से होते हुए लिब्बरहेड़ी की ओर निकाला गया था जिसके निष्प्रोज्य होने पर उसकी भूमि भूमाफियाओं व अन्य लोगों द्वारा कब्जा ली गयी है ? क्या यह सत्य है कि इस प्रकार प्रदेश में अन्य निष्प्रयोज्य भूमि पर भी कब्जा किया गया है ? क्या सरकार जनहित में उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 20.11.2020	**तृतीय मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 04 में स्थानान्तरित।** *10. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण की क्या नीति है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 2017 से मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु पर्यटन विभाग की कौन–कौन सी योजनाएं स्वीकृत है तथा स्वीकृति के बाद अभी तक कितनी योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितनी योजनाओं में कार्य नहीं हो पाया है ? स्वीकृत योजनाओं के पूर्ण न होने के क्या कारण है ?	पर्यटन
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 23.11.2020	*11. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि लॉक डाउन के समय सम्पूर्ण प्रदेश में पर्यटन प्रभावित हुआ है, जिससे चार–धाम यात्रा के दौरान कार्य करने वाले टैक्सी चालकों, मजदूरों, होटल व्यवसायियों, वाहन मालिकों की आजीविका पर बहुत असर हो रहा है ? इस समस्या के निदान हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन

श्री राम सिंह कैड़ा 24.11.2020	*12. क्या सिंचाई मंत्री अवगत है कि भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जमरानी बांध बनने जा रहा है एवं बांध बनने से सैकड़ो परिवारों की जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है ? क्या यह सत्य है कि डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन वर्षो से वहां पर रहने वाले परिवारों के कब्जे की जमीन है, परन्तु डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन कब्जेधारकों के नाम नही है ? क्या सरकार डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन का मुआवजा कब्जेधारकों को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री आदेश सिंह चौहान 25.11.2020	*13. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधम सिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र जसपुर के अंतर्गत जसपुर क्षेत्र में पड़ने वाली ढेला नदी व फीका नदी पर तटबंध बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री फुरकान अहमद 02.12.2020	*14. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार पिरान कलियर स्थित धनौरी से रूड़की सौलानी नदी तक बन्द पड़ी नहर को सुचारू संचालन कर उक्त स्थान पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झील का निर्माण करने पर विचार करेगी ताकि नौकायन एवं अन्य गतिविधियों का संचालन कर क्षेत्रवासियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जा सके ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु बजट इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 16.08.2019	1. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018–2019 में एस0सी0पी0 योजना अन्तर्गत कितनी धनराशि अवमुक्त की गई तथा उसमें से कितनी धनराशि व्यय की गई ? विधान सभा क्षेत्र–29, झबरेड़ा में कितनी धनराशि खर्च की गयी है तथा उसकी अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या व्यय की गई राशि से सभी एस0सी0पी0 के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 02.09.2019	2. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जनपदवार कितना बजट आवंटित किया गया है ? जनपद हरिद्वार में वर्ष, 2017 जनवरी से दिसम्बर, 2018 तक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत क्या–क्या कार्य हुए ? क्या सरकार जनपद हरिद्वार का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण

श्री प्रीतम सिंह पंवार 06.09.2019	**स्थगित।** 3. क्या ग्रामीण तालाब विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण तालाब विकास हेतु कोई योजना गतिमान है? यदि हां तो वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 में कुल कितने ग्रामीण तालाब विकसित किए गये है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ग्रामीण तालाब निर्माण हेतु सरकार द्वारा काश्तकारों/ ग्रामीणों को वित्तीय सहायता दी जा रही है? यदि हां तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्रामीण तालाब विकास

अतारांकित प्रश्न

काजी मौ0 निजामुद्दीन 09.11.2020	1. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुम्भ मेला 2021 में सरकार कुम्भ क्षेत्र विशेषकर हरिद्वार शहर और ऋषिकेश शहर के अंतर्गत तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क नगर बस सेवा चलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन
काजी मौ0 निजामुद्दीन 09.11.2020	2. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि कस्बा मंगलौर स्थित परिवहन विभाग का बस अड्डा जर्जर स्थिति में है ? जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार मंगलौर परिवहन बस अड्डे का पुनः निर्माण कर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 10.11.2020	**विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।** 3. क्या वर्षा जल संग्रहण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण के लिए सरकार द्वारा व्यक्तिगत व सामूहिक कौन–कौन सी योजनायें चलायी जा रही है ? सरकार द्वारा ग्रामीण काश्तकारों के लिए स्वरोजगार व सामूहिक कृषि में वर्षाजल संग्रहण के लिए क्या–क्या प्रोत्साहन योजनायें है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2016–17 से अब तक कुल कितने काश्तकारों को इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वर्षा जल संग्रहण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 10.11.2020	4. क्या बाढ़ नियन्त्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में अगलाड़–पालीगाड़ नदी क्षेत्र तथा सकलाना क्षेत्र में बरसात में काश्तकारों की सिंचित व असिंचित कृषि भूमि को बाढ़ के कारण भारी क्षति पहुंचती है एवं काश्तकारों की सैकड़ों नाली कृषि भूमि तबाह होती है ? क्या सरकार इन दोनों क्षेत्रों में बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	बाढ़ नियन्त्रण

श्री प्रीतम सिंह पंवार 10.11.2020	5. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 2016–2017, 2017–18 व 2018–19 में प्रदेश के किन–किन नये रूट पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों का संचालन प्रारम्भ किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूर अंचलों में देहरादून, हरिद्वार तथा हल्द्वानी से किन–किन नये रूट पर बसों का संचालन उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन
श्री मनोज रावत 11.11.2020	**द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 51 में स्थानान्तरित।** 6. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रूद्रप्रयाग जिले की ऊखीमठ तहसील के सेमी–भैंसारी गांव में वर्ष 2013 की आपदा के बाद कितने परिवारों के आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होकर रहने लायक नहीं रह गए हैं ? इनमें से कितने परिवारों का पुनर्वास सरकार की विभिन्न योजनाओं में किया गया है ? क्या सरकार द्वारा सभी परिवारों का पुनर्वास किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री धन सिंह नेगी 12.11.2020	7. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि राज्य में विस्थापन के लिए एक समान नीति प्रख्यापित है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में टिहरी बांध विस्थापितों का विस्थापन किस नीति से किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध विस्थापितों को नकद धनराशि देने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हॉ, तो कब तक नकद धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री राम सिंह कैड़ा 12.11.2020	8. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भीमताल में कुल कितनी सिंचाई नहरें अतिवृष्टि, भू–स्खलन तथा बाढ़ से प्रभावित है ? क्या सरकार बतायेंगी कि वर्ष 2018–2019 व 2019–2020 में ऐसी किन–किन नहरों पर कितनी–कितनी धनराशि के अनुरक्षण तथा पुनर्निर्माण कार्य करवाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री धन सिंह नेगी 13.11.2020	9. क्या संस्कृति मंत्री अवगत हैं कि राज्य में परम्परागत संस्कृति को संरक्षित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में सरकार की उक्त योजना का विवरण क्या है ? क्या यह भी सत्य है कि सरकार संस्कृति ग्राम बनाने के लिए भी प्रयासरत् है ? यदि हॉ, तो क्या टिहरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम साबली चम्बा को संस्कृति ग्राम घोषित करने के उनके प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	संस्कृति
श्री धन सिंह नेगी 13.11.2020	10. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि राज्य में टिहरी बांध विस्थापितों के लिए नीति निर्धारित है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में टिहरी बांध विस्थापितों की पात्रता निर्धारण करने के लिए कौन सी नीति का पालन किया जा रहा है तथा उस नीति में व्यक्ति की पात्रता व गांव के विस्थापन के लिए कितना प्रतिशत् भूमि डूब क्षेत्र में जाने पर पात्र विस्थापित मानने का प्राविधान है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई

श्री धन सिंह नेगी 16.11.2020	11. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि राज्य में विकलांग लोगों को पेंशन दी जाती है? यदि हां तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि दोनों हाथों से विकंलाग व्यक्ति को भी विकलांग पेंशन दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यो?	समाज कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 17.11.2020	12. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन की कौन–कौन सी योजनायें वर्तमान समय में संचालित की जा रही है? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के प्रसिद्ध तालों–बुग्यालों तथा पर्यटन स्थलों को जाने वाले पैदल मार्गों/ट्रेकिंग रूट का सुदृढ़ीकरण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो वे प्रमुख ट्रेकिंग रूट्स कौन–कौन से है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री हरीश सिंह 17.11.202	**द्वितीय गुरूवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 07 में स्थानान्तरित।** 13. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार विधान सभा क्षेत्र धारचूला के मुनस्यारी में पं0 नैन सिंह के नाम से निर्माणाधीन माउन्टेनियरिंग इंस्टीट्यूट को आरम्भ करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?	पर्यटन
श्री हरीश सिंह 17.11.202	14. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धारचूला के मुनस्यारी एवं बिरथी में निर्माणाधीन ढाई वर्ष से लम्बित कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के अन्तर्गत टी0आर0सी0 को पूर्ण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री धन सिंह नेगी 23.11.2020	15. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि राज्य में टिहरी बांध परियोजना के लिए विस्थापन हेतु जमीन का अधिग्रहण किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उक्त अधिग्रहण की गयी जमीन में से कितनी जमीन टिहरी हाईड्रो बांध परियोजना के लिए संचालित टी0एच0डी0सी0 लि0 के पास अभी तक उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री प्रीतम सिंह पंवार 24.11.2020	16. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में अगलाड़–पालीगाड़ नदी क्षेत्र तथा सकलाना क्षेत्र में बरसात में काश्तकारों की सिंचित व असिंचित कृषि भूमि को बाढ़ के कारण भारी क्षति पहुंचती है एवं काश्तकरों की सैकड़ों नाली कृषि भूमि तबाह होती है ? क्या सरकार इन दोनों क्षेत्रों में बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री प्रीतम सिंह पंवार 24.11.2020	17. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के कुछ भाग के गंगाड़ी तथा प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के कुछ भाग के फिकवाल समुदाय को राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया था ? उक्त दोनों क्षेत्रों के गंगाड़ी व फिकवाल समुदाय केन्द्रीय ओ0बी0सी0 के अन्तर्गत प्रदत्त आरक्षण सुविधा से वंचित है ? सरकार इन दोनों समुदायों को केन्द्रीय ओ0बी0सी0 के अन्तर्गत प्रदत्त आरक्षण सुविधा कब तक दिलायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?	समाज कल्याण

श्री राम सिंह कैड़ा 24.11.2020	18. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य तथा भीमताल विधान सभा क्षेत्र के पर्यटक क्षेत्रों में पर्यटन सीजन व सैलानियों की सुविधाओं को लेकर सरकार क्या कार्य कर रही है? यदि नही, तो क्यों?	पर्यटन
श्री धन सिंह नेगी 24.11.2020	19. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि टिहरी बांध परियोजना के लिए अधिग्रहण की गयी जमीन को बांध विस्थापितों को ही दिये जाने का प्राविधान है? यदि हां, तो सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि अधिग्रहण की गयी जमीन केवल विस्थापितों के लिए ही उपयोग में लायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री धन सिंह नेगी 24.11.2020	20. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि राज्य में टिहरी बांध विस्थापितों के लिए पात्रता निर्धारण के लिए नीति निर्धारित है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में टिहरी बांध विस्थापितों की पात्रता निर्धारण के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्रीमती ममता राकेश 24.11.2020	21. विधान सभा सत्र के दिनांक 20.02.2019 को आहूत उपवेशन में मेरे द्वारा नियम–58 में उठाई गई सूचना के क्रम में समाज कल्याण मंत्री द्वारा अवगत कराया गया है कि आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर, भगवानपुर वर्तमान में राजकीय इण्टर कालेज, छाप्पुर, शेर अफगानपुर में संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या समाज कल्याण मंत्री बताने को कष्ट करेंगे कि उक्त विद्यालय हेतु स्थायी भवन का निर्माण कब तक करवा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	समाज कल्याण
श्रीमती ममता राकेश 24.11.2020	22. क्या तीर्थाटन एवं धार्मिक मेले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के अंतर्गत संत रविदास मंदिर, महर्षि वाल्मिकी मंदिर, शिव मंदिर जो कि जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, के रख–रखाव व जीणोद्धार हेतु धन की व्यवस्था है ? यदि धन की व्यवस्था है, तो क्या सरकार उक्त मंदिरों का जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	तीर्थाटन एवं धार्मिक मेले
श्री धन सिंह नेगी 25.11.2020	23. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि राज्य में टिहरी बांध विस्थापितों के लिए पुनर्वास नीति निर्धारित है? यदि हां, तो मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में टिहरी बांध विस्थापितों का विस्थापन किस नीति के तहत किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री आदेश सिंह चौहान 25.11.2020	24. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधम सिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र जसपुर के अंतर्गत जसपुर से देहरादून के लिए उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस संचालित करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
श्री आदेश सिंह चौहान 25.11.2020	25. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऊधम सिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र जसपुर के अंतर्गत जसपुर में बस अड्डे का निर्माण कार्य प्रस्तावित है? यदि हां, तो निर्माण कब तक आरम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन

श्री धन सिंह नेगी 26.11.2020	26. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि टिहरी बांध परियोजना के लिए सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहित की गयी थी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त परियोजना के लिए अधिगृहित की गयी जमीन का विवरण उपलब्ध करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री धन सिंह नेगी 26.11.2020	27. क्या जलागम प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में समेकित जलागम परियोजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक जलागम प्रबन्धन की योजनायें कहां–कहां पर चलाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?	जलागम प्रबंधन
श्री धन सिंह नेगी 27.11.2020	28. क्या जलागम प्रबंधन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में जलागम के माध्यम से जल संवर्धन व जल संरक्षण का कार्य किया जाता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक प्रदेश के कितने विकासखण्ड़ों में यह योजना चलाई गयी है व उस पर व्यय धनराशि का विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?	जलागम प्रबंधन
श्री धन सिंह नेगी 27.11.2020	29. क्या पर्यटन मंत्री अवगत है कि राज्य में साहसिक खेलों के लिए कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार साहसिक पर्यटन के लिए अभी तक की गयी कार्यवाही से अवगत करायेगी? क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने साहसिक पर्यटन का अलग से विभागीय ढ़ाचा स्वीकृत कर नया निदेशालय बनाने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार टिहरी झील के पास माउण्ट एवरेस्ट विजेता दिनेश रावत साहसिक खेल एकेडमी को साहसिक खेल निदेशालय बनाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्रीमती ममता राकेश 27.11.2020	30. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व विधवा महिला के पुत्री के विवाह हेतु कितनी राशि अनुदान हेतु दी जाती है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विगत तीन वर्ष से वर्तमान तक जनपद हरिद्वार में शादी अनुदान हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और कुल कितने लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार वंचित रह गये पात्र अभ्यर्थियों को भी शीघ्र लाभान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 01.12.2020	31. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून से वाया सुवाखोली–भवान–नगुण–उत्तरकाशी भटवाड़ी रैथल तक उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस का संचालन कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? क्या यह सत्य है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दयारा के आधार गांव रैथल भटवाड़ी तक परिवहन निगम की बस के संचालन की ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों तथा पर्यटकों द्वारा मांग की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त रूट पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस का संचालन कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
01.12.2020

32. क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के गांवों में निवासरत ढोल वादकों (बाजगियों) के पुनरूत्थान व उनके कला–कौशल को संरक्षित करने तथा उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि पारम्परिक व्यवसाय से अपना जीवन यापन करने वाले इन लोक कलाकारों की भारी उपेक्षा के चलते उनका कला कौशल समाप्ति की कगार पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कलाकारों तथा उनकी पारम्परिक लोक कला को संरक्षित व सम्वर्द्धन के लिए कोई ठोस योजना चलाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति

श्री प्रीतम सिंह पंवार
01.12.2020

33. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत टिकरी शत प्रतिशत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम है ? क्या यह सत्य है कि शत–प्रतिशत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम टिकरी में मुख्य मोटर मार्ग से गॉव तक लगभग 150 मीटर लम्बे व 04 मीटर कच्चे सड़क मार्ग को पक्का करने व नाली निर्माण/स्कपर आदि निर्माण कार्य स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत कर कराये जाने की मांग ग्रामीणों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है ? क्या सरकार उक्त योजना का निर्माण करायेगी ? यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्री धन सिंह नेगी
01.12.2020

34. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में रोड़वेज सेवा के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में बसों का संचालन होता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र टिहरी में वर्षों से चलने वाली रोड़वज सेवा देहरादून, जाखणीधार व देहरादून, कांड़ीखाल बस सेवा को अभी तक प्रारम्भ न करवाने के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त परिवहन सेवा को पुनः प्रारम्भ करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

श्री धन सिंह नेगी
01.12.2020

द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 49 में स्थानान्तरित।

35. क्या सिंचाई मंत्री अवगत है कि राज्य में नमामि गंगे योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक उक्त योजना से कितनी धनराशि के कार्य पूर्ण हो गये है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त योजना में गंगा नदी के घाट व पाथवे भी बनाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी विधान सभा क्षेत्र टिहरी के कोटी में भागीरथी नदी किनारे घाट एवं पाथवे के लिए उनके प्रस्ताव पर अभी तक हुयी कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करायेंगें? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई

श्री करन माहरा
01.12.2020

36. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रामनगर व रानीखेत हेतु ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय खोले जाने का आदेश पारित किया गया था? क्या यह सत्य है कि रामनगर में ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय संचालित हो चुका है, परन्तु रानीखेत में नहीं ? क्या सरकार रानीखेत में ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

श्री चन्दन राम दास 02.12.2020	37. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड गरूड़ में कितनी नहरे सिंचाई विभाग की हैं व सिंचाई विभाग की कितनी नहरें चालू हालत में व बन्द पड़ी है ? क्या बन्द पड़ी नहरों को चालू करने की राज्य योजना व नॉबार्ड में वित्त की व्यवस्था की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री चन्दन राम दास 02.12.2020	38. क्या पर्यटन मंत्री अवगत करायेंगें कि बैजनाथ पर्यटन सर्किट में क्या–क्या कार्य व कितनी धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार से हुई है ? क्या मंत्री जी इन कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या उक्त कार्य भारत सरकार के मानक व प्रोजेक्ट के अनुसार हो रहे है ? यदि हां, तो किस प्रकार से यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन
श्री धन सिंह नेगी 02.12.2020	39. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रमाण पत्र जारी किये जाते है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले क्षेत्र से अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 03.12.2020	40. क्या बाढ़ नियन्त्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर के सकलाना क्षेत्र में प्रतिवर्ष वर्षा, भूस्खलन व बाढ़ के कारण पैदल पुलिया, पैदल मार्ग, कृषि भूमि, आवास, गौशालाओं, मोटरमार्गों, सरकारी गैर सरकारी भवनों, उद्यानों को भारी क्षति पहुंचती है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा सकलाना क्षेत्र में बाढ़ नियन्त्रण के क्या–क्या उपाय किये जा रहे है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	बाढ़ नियन्त्रण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 03.12.2020	41. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी, नगर पालिका परिषद् बाड़ाहाट उत्तरकाशी में सन् 1960 से पूर्व आये पंजाबियों के परिवारों के आश्रितों के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र नहीं बनाये जा रहे है ? क्या सरकार सन् 1960 से पूर्व बसे उन परिवारों के आश्रितों के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र बनाये जाने विषयक निदेश निर्गत करेगी ? यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्री धन सिंह नेगी 03.12.2020	**विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।** 42. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के तहत वर्ष 2019–20 में स्वीकृत योजनाओं का विवरण उपलब्ध करायेगी ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त योजना चयन के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या वालों गांवो को चयन में वरीयता दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2020–21 में प्राप्त बजट के सापेक्ष जनपदवार धनराशि के आंवटन का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 03.12.2020	43. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा में निजी संस्थानों में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन यथा ऑटो, बस, क्रूजर आदि सभी साधन संबन्धित आर0टी0ओ0 से रजिस्टर्ड है? यदि हां, तो निजी शिक्षण संस्थानों में लगे वाहनो का विवरण क्या है? क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वाहन जिनका प्रयोग बाल वाहिनी के रूप में निजी विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है, तो आर0टी0ओ0 द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किये गये है? क्या सरकार उक्त वाहनों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 03.12.2020	44. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में संचालित निजी विद्यालयों के संचालकों द्वारा स्कूल वाहनों का वेरीफिकेशन करवाया गया है ? क्या सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों के संचालकों के विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों का किसी भी प्रकार का कोई बीमा करवाया जाता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का बीमा करवाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 04.12.2020	45. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायान से होने वाली दुर्घटना में मृतकों व घायलों को कितनी–कितनी धनराशि प्रदान की जाती है ? क्या यह सत्य है कि ऐसी दुर्घटनाओं में दी जाने वाली राहत निधि में असमानता है ? क्या सरकार पूरे प्रदेश में एक जैसी व्यवस्था के तहत राहत निधि का वितरण सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 04.12.2020	46. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कोरोना संकट के चलते ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, गाड़ियों के पंजीकरण व कर आदि जमा करने के लिए लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार इसका कोटा बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन
श्री धन सिंह नेगी 04.12.2020	47. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि विधानसभा क्षेत्र टिहरी के सुनारगांव, नागेड़, दब्या, मोली, गुनोगी, उदयकोट सिलोगी, धोधस, मिंगवाली, वौस्टा, निराली, पैलगांव, चुनारकोटी, भटवाड़ा, अन्द्रेठी, सिलोगी, मुकरोवी गांव के लोगों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किये गये है? यदि हां, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना व गजट नोटिफिकेशन से अवगत करायेगी ? क्या यह भी सत्य है कि इन गांवो के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी किये गये है? यदि हां, तो क्या सरकार इन अल्पसंख्यक गांव के लोगों के ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र जारी करने का आधार बतायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण